

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 15 /2019-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 27th

फरवरी, 2019

सा.का.नि.....(अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 में संशोधन किए जाने हेतु और आगे निम्नलिखित विनियमों को बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ - (1) ये विनियम कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियमावली, 2019 कहलाएंगे ।
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 में, "फॉर्म-सी, फॉर्म-एच और फॉर्म-एचए" हेतु, निम्नलिखित फॉर्मों को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"फॉर्म सी
(विनियम 5(3) देखें)
नमूनों और उपहारों के लिए कूरियर प्रविष्टि-बिल - XII (सीबीई-XII)
(इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग)

क्र.सं.	विवरण	ब्योरे
(1)	(2)	(3)
1.	कूरियर पंजीकरण संख्या	
2.	अधिकृत कूरियर का नाम और पता	
3.	एयरलाइंस का नाम	
4.	आगमन का हवाई अड्डा	
5.	जहां भी लागू हो, वहां पहले आगमन का बंदरगाह	
6.	विमान संख्या	
7.	आगमन की तिथि	
8.	आगमन की समय	

9.	शिपमेंट का हवाई अड्डा	
10.	निर्यात का देश	
11(i).	एचएडबल्यूबी सं.	
11(ii).	सीआरएन सं., यदि लागू हो ।	
12.	यूनीक कंसाइनमेंट रेफरेंस सं०.	
13.	परेषक का नाम और पता	
14.	प्रेषिती का नाम और पता	
15.	जीएसटीआईएन (वैकल्पिक) टिप्पणियां: उपहार / नमूनों के आयात के मामले में, जीएसटीआईएन अनिवार्य नहीं हो सकता है	
16.	आईईसी कोड	
17.	आईईसी शाखा कोड	
18.	एचएडबल्यूबी में शामिल मदों की संख्या	

19. मद-वार विवरण:				
सीटीएच	शिपमेंट की प्रकृति (उपहार / नमूने)	उद्गम देश	माल का विवरण	विनिर्माता का नाम और पता
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)

मद-वार विवरण (जारी) :				
पैकेजों की सं.	पैकेजों के अंक और संख्या जहां भी लागू हो	माप की इकाई	मात्रा	चालान सं.
(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)

मद-वार विवरण (जारी) :											
चालान मूल्य	चालान मुद्रा	भाड़े की रकम	बीमा राशि	लैंडिंग प्रभार	विनिमय-दर	रू० में निर्धारणीय मूल्य (सीमा)	अधिसूचना	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम	अतिरिक्त शुल्क	अतिरिक्त शुल्क धनराशि	जीएसटी कोड

						शुल्क, 1962 की धारा 14 के अनुसार)				, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत मूल्य	दर		
(XI)	(XII)	(XIII)	(XIV)	(XV)	(XVI)	(XVII)	(XVI II- A)	(XVI II- B)	(XV III -C)	(XIX)	(XX)	(XXI)	(XX II)
							अधिसू चना प्रकार	अधिसू चना सं.	क्र. सं०.				

आईजीएसटी दर	आईजीएसटी छूट अधिसूचना	आईजीएसटी धनराशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर दर	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर धनराशि	कुल शुल्क धनराशि
(XXIII)	(XXIV)	(XXV)	(XXVI)	(XXVII)	(XXVIII)	(XXIX)

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त खेपों से संबंधित खेप प्रेषकों में से प्रत्येक से प्राधिकरण प्रपत्र उपर्युक्त माल की निकासी के लिए एजेंडे के रूप में कार्य करने हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

मैं/हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि इस प्रविष्टि-बिल के अनुसार आयात किए गए सामान में केवल वास्तविक व्यावसायिक नमूनों, माल के प्रोटोटाइप, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहारों का प्रामाणिक मूल्य दस हजार रूपए से अधिक नहीं है और जो तत्समय भारत से उनके आयात पर किसी प्रतिबंध और निर्बंधन के अध्याधीन नहीं हैं।

मैं/हम इन प्रविष्टि-बिलों के साथ पूर्वोक्त प्रेषणों के लिए वायुमार्ग बिलों की संख्या और चालान संख्या को इसके साथ संलग्न करता हूँ/ करते हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस प्रविष्टि-बिल के संदर्भ हर प्रकार से पूर्ण सच्चे और सही और इसके साथ संलग्न चालान और अन्य दस्तावेज, हाइवे बिलों के अनुसरण में हैं।

दिनांक:

प्राधिकृत कूरियर के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
प्राधिकृत कूरियर की मुहर सहित

स्थान:

नारेट: सीबीई-XII में थोक में अथवा अन्यथा अपलोड के माध्यम से फाइलिंग करते समय एचएडबल्यूबी और चालानों की इमेज अपलोड करना वै कल्पिक होगा ।

फार्म - एच

[विनियम 6(3) देखें]

माल हेतु कूरियर शिपिंग बिल - IV (सीएसबी - IV)
(इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग)

क्र.सं.	विवरण	ब्योरे
(1)	(2)	(3)
1.	कूरियर पंजीकरण संख्या	
2.	अधिकृत कूरियर का नाम और पता	
3.	एयरलाइंस का नाम	
4.	प्रस्थान हेतु हवाई अड्डा	
5.	उड़ान सं.	
6.	प्रस्थान की तिथि	
7.	प्रस्थान का समय	
8.	गन्तव्य हवाई अड्डा	
9.	एयरवे बिल-वार सूचना :	
	(क) एमएडबल्यूबी सं.	
	(ख) एमएडबल्यूबी में शामिल एचएडबल्यूबी की सं.	
	(ग) बैग / पैकेज / पीसेज / यूएलडी की संख्या	
10.	एडी कोड	

11.	शिपमेंट / खेप-वार जानकारी:		
एचएडबल्यूबी सं.	जीएसटी चालान सं. और तिथि	चालान सं. और तिथि (निर्यात चालान)	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
माल का विवरण	परेषक का नाम और पता	परेषिकी का नाम और पता	भार (किग्रा में)
(5)	(6)	(7)	(8)
क्या निर्यात के लिए आपूर्ति आईजीएसटी के भुगतान पर है या नहीं। कृपया स्पष्ट करें।	क्या आपूर्ति बाँड अथवा यूटी के प्रति है	कुल आईजीएसटी, यदि कोई हो, अदा की गई है	जीएसटीआईएन
(9)	(10)	(11)	(12)

--	--	--	--

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उल्लिखित माल की निकासी हेतु एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उपरोक्त वर्णित प्रत्येक परेषक से प्राधिकरण प्राप्त किया है ।

मैं/हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि इस प्रविष्टि-बिल के अनुसार आयात किए गए सामान में केवल वास्तविक व्यावसायिक नमूनों, माल के प्रोटोटाइप, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहारों का प्रामाणिक मूल्य संगत छूट अधिसूचना में निर्धारित सीमा में है और जो तत्समय भारत से उनके आयात पर किसी प्रतिबंध और निर्बंधन के अध्याधीन नहीं हैं और इसमें विदेशी मुद्रा का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है ।

मैं/हम इन प्रविष्टि-बिलों के साथ पूर्वोक्त प्रेषणों के लिए वायुमार्ग बिलों की संख्या और चालान संख्या..... को इसके साथ संलग्न करता हूँ/ करते हैं ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस शिपिंग-बिल के संदर्भ हर प्रकार से सच्चे और सही तथा इसके साथ संलग्न चालान और अन्य दस्तावेज, हाइवे बिलों के अनुसरण में हैं ।

दिनांक:

स्थान:

प्राधिकृत कूरियर का नाम और हस्ताक्षर
प्राधिकृत कूरियर की मुहर सहित

फार्म - एचए कूरियर शिपिंग बिल -V(सीएसबी-V) [विनियम 6(3 देखें)]

क

अधिकृत कूरियर का नाम और पता	सीमा शुल्क स्टेशन का नाम	कूरियर पंजीकरण सं० .	लदान-पत्त	एयरलाइन का नाम और उड़ान संख्या	सीमा शुल्क शिपिंग बिल संख्या और तिथि	एडी कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ख

क्र. सं.	कूरियर एडब्ल्यूबी सं.	पैकेज-संख्या	घोषित भार	गंतव्य	परेषक / निर्यातक का नाम और पता	एक्सपोर्टर की आईसी सं.	चालान की शर्तें	निर्यातक चालान के अनुसार माल का विवरण				चालान मूल्य (एफओबी)	प्रेषिती का नाम और पता	क्या निर्यात ई-कॉमर्स के तहत किया गया था हाँ/नहीं	क्या निर्यात एमईआईएस योजना के अंतर्गत किया गया है हाँ/नहीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)	(11)	(12)	(13)	
								क्र. सं.	विवरण	मात्रा	एचएस कोड	मुद्रा	आईएनआर			
								(i)	(i)	(i)	(iv)	(i)	(i)			

ग

जीएसटीआईएन	चालान सं. और तिथि	कुल करधान मूल्य	यदि निर्यात हेतु आपूर्ति आईजीएसटी के भुगतान पर हो तो कृपया भुगतान की गई कुल आईजीएसटी, यदि कोई हो, को दर्शाएं	क्या बाँड या यूटी के एवज में	भुगतान किया गया, यदि कोई हो, कुल उपकर ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

घोषणा:

(i) मैं/हम, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त निर्यातक ने हमें कूरियर एयरवे बिल के अंतर्गत शिपमेंट की बुकिंग के लिए और उपर्युक्त वर्णित वस्तु की निकासी और निर्यात के लिए एजेंट के रूप में काम किए जाने हेतु प्राधिकृत किया है ।

(ii) मैं/हम, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि निर्यातक की घोषणा के आधार पर हम उपर्युक्त सीएसबी-V में की गई घोषणा का अनुपालन करेंगे ।

प्राधिकृत कूरियर के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
प्राधिकृत कूरियर की मुहर"।

[फा. सं. 450/221/2016-सीमाशुल्क IV]

जुबेर रियाज

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 5 मई, 2010 को संख्या सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 5 मई, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और संख्या सा.का.नि. 737(अ) दिनांक 3 अगस्त, 2018 के तहत अधिसूचना सं०. 69/2018-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया ।